अध्याय IV

सामान्य छूट अधिसूचनाओं को गलत रूप से लागू करना

4.1 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत सरकार को ऐसे किसी विवरण वाले माल से पूरे अथवा उस पर लगने वाले सीमा शुल्क के किसी भाग की, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थितियों के अनुसार पूरा या परिस्थितियों के अनुसार छूट देने का अधिकार है। अप्रैल 2011 से जनवरी 2012 की समयावधि के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2011 से जून 2012) में देखी गई छूट की गलत मंजूरी के कारण औसतन ₹ 2.85 करोड़ की गैर-उगाही/शुल्कों की कम उगाही के कुछ निदर्शी मामलों की निम्न पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

निर्धारण अधिकारी ने टेक्सटाइल सामान और कढ़ाई के कपड़े को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से गलत छूट दी ।

4.2 8 अप्रैल 2011 से लागू, वित्त अधिनियम, 2011 में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व वाला माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची मे विनिर्दिष्ट सारे माल उपरोक्त अधिनियम के दायरे से हटा दिये गये थे। परिणास्वरूप, वह माल जिसे दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना स.20/2006-सीशु. की क्रम सं. 50 के अंतर्गत सीमा शुल्क के विशिष्ट अतिरिक्त कर की उगाही से छूट प्रदान की गई थी दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना सं. 19/2006 सीशु. शर्तों के अनुसार उस पर चार प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा।

4.3 मैं. एआरसी इन्टप्राईज और अन्य कुछ ने "टैक्सटाइल कपड़े/नायलॉन टायर कॉर्ड कपड़े " की कई खेपें चैन्नई (समुन्द्र/वायु) और तूतीकोरन बंदरगाह से आयातित की (अप्रैल से नवंबर 2011)। निर्धारण अधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 50 से 60 के अन्तर्गत आयातित मदों को वर्गीकृत किया और पूर्वोक्त अधिसूचना की क्रम स. 50 के अंतर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क से गलत छूट प्रदान कर दी हांलाकि वे अप्रैल 2011 की पूर्वोक्त पहली अनुसूची से हटा दिये गये थे। इसके परिणमस्वरूप कुल ₹ 2.33 करोड़ शुल्क (चेन्नै-समुद्र/वायु आयुक्तालय-₹1.20 करोड़ और तूतीकोरेन आयुक्तआलय-₹ 1.13 करोड़) की कम उगाही हुई।

4.4 तूतीकोरन और चैन्नई (समुन्द्री/ हवा) आयुक्तालयों ने क्रमशः ₹ 82.63 लाख और ₹ 28.25 लाख जिनमें क्रमशः ₹ 8.79 लाख और ₹ 2.79 लाख का ब्याज शामिल था, की वसूली की सूचना (नवम्बर 2011 से अप्रैल 2012) दी। मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2013)।

निर्धारण अधिकारी ने पीवीसी कोटेड कपड़ों/परिष्कृत कढ़ाई वाले कपड़ों, जैक्वार्ड कर्टेन कपडों को छूट प्रदान की।

4.5 मैं. अंबिका इंपैक्स और 96 अन्य ₹ 8.32 करोड़ के मूल्य "पीवीसी कोटेड कपड़ों/परिष्कृत कढ़ाई वाले कपड़ो, जैक्वार्ड कर्टेन कपडों " आदि को मुंबई एयर कार्गो कांप्लैक्स, मुंबई, न्यू कस्टमज हाऊस, और मुंबई आईसीडी आयुक्तालय के माध्यम से

अप्रैल से नवंबर 2011 के दौरान 214 खेपों में आयात किया। ये माल एईडी (जीएसआई) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीटीएच के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

4.6 आईसीईएस के डंप आंकड़ों की संवीक्षा से हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 1 मार्च 2006 की अधिसूचना सं. 20/2006-सीशु की क्रम स. 50 के अंतर्गत अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट गलती से प्रदान कर दी हालांकि ये मद अप्रैल 2011 से पूर्वोक्त पहली अनुसूची से हटा दिये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.61 लाख अतिरिक्त शुल्क की उगाही नहीं हो सकी।

4.7 *मंत्रालय ने पांच आयातकों (मै. पदावती टैक्सटाइल्स, मै. डी. डैकोर एक्सपोर्टस, मै. पिज्जा इम्पैक्स, मै. जोडेएक क्लाथिंग कं. लि. तथा मै. प्लास्टिक कॉटेज ट्रैडिंग कं.) से ₹ 19.24 लाख की वूसली की सूचना दी (दिसम्बर 2012)।*

निर्धारण अधिकारी ने पीवीसी कोटेड कपड़े को केवल सूती माल समझकर छूट प्रदान की।

4.8 दिनांक 09 जुलाई 2004 की अधिसूचना स.29/2004-केउ (यथा संशोधित) के अनुसार, सूत का सारा माल जिसमें अन्य कोई टैक्सटाईल सामग्री शामिल नहीं होती, वह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 के अध्यायों 56/59 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है, 5 प्रतिशत की रियायती दर पर प्रतिकारी शुल्क के लिए निर्धारणीय है।

4.9 डंप आंकड़ों की जांच से हमने पाया कि मै. पदमिनी इंडस्ट्रिज़ लिमि. और दस अन्यों ने आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से पीवीसी कोटेड कपड़े, कृत्रिम रेशे, पालीएस्टर की बैड शीट की 15 खेपें आयात की (अप्रैल से नवंबर 2011)। निर्धारण अधिकारी ने आयातित माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्यायों 56/59 के अंतर्गत वर्गीकृत किया और उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत 5 प्रतिशत की रियायती दर पर सीवीडी की उगाही की। चूंकि आयातित माल 100 प्रतिशत सूत से बना हुआ नहीं था, वह अधिसूचना लाभ के योग्य नहीं था और 10 प्रतिशत की दर से सीवीडी हेतु उदग्रहणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.40 लाख के शुल्क का उदग्रहण कम हुआ।

4.10 *मंत्रालय ने 11 प्रेषणो में ₹ 0.47 लाख के ब्याज तथा ₹ 3.32 लाख की वसूली की सूचना दी (फरवरी 2013)। शेष चार परेषणों में अधिनिर्णयन की प्रक्रिया चल रही हैं।*